

पत्र सं- 09/उपा0बीज0अनु0-28/2018 3324 /कृ0 पटना, दिनांक 15/6/2018

प्रेषक :-

हिमांशु कुमार राय, मा0 प्र0 से0  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :-

मेसर्स एग्री मैक सीड्स प्रा0 लि0,  
कुशवाहा कृषि केन्द्र, द्वारा-रामचन्द्र प्रसाद,  
खनदेजादपुर, मिनापुर, मुजफ्फरपुर।

विषय :- बीज बिक्री नयी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए,कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....15/2018.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि.....14.06.2018.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :- बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन,

*H. S. Kumar*  
14.6.18

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापक :- 3324

/कृ0, पटना, दिनांक 15/6/2018

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

*H. S. Kumar*  
14.6.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

गैसर्स एग्री मैक सीड्स प्रा० लि० द्वारा निम्नलिखित बीजों का ही व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: - 3324

दिनांक 15.06.2018

### LIST OF CROP VARIETIES

SR.NO.	CROP	VARIETIES
	Paddy	BPT-5204, MTU-1010, MTU-1001, Tellahamsa, IR-64, NDLR-8, Vasudha (APH-999), Mac Gold (APH-511), Kranti (APH-911), APH-2355 Gold, Dhanraj (APH-777), APH-3355, Kranti Gold, AP-Damini, AP-Super Saurabh, AP-Ganga-1, BB-11 Gold
	Red Gram	LRG-30, LRG-41, ICPL-85063
	Maize	African Tall, 7240, 22G22, 33M55, 90M81, 91M20, Edan, Gold, Maharaja-22
	Jowar	CSH-9, CSH-14, Rasbhari
	Sponge Gourd	Ranjana
	Castor	Gauch-4
	Ground nut	TAG-24, TAG-38
	Sunflower	Morden
	Soyabean	JS-335
	Spinach (Palak)	All Green
	Onion	N-53
	Brinjal	Pusa Purple Round, Pusa Purple Long, Mac-18
	Chilies	Pusa Jwala, Pusa Sadabahar, Sonakshi
	Bhindi	Arka Anamika, Parbhani Kranthi, Chulbul
	Bottle Gourd	Pusa Naveen, Manita
	Cucumber	Green Long
	Water Melon	Sugar Baby
	Mustard	Varuna
	Tomato	Lal Gulab
	Ridge Gourd	Priyanka
	Bitter Gourd	Amrapali

कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
14-6-18  
(हिमांशु कुमार राय)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'  
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No. 45/2018 Date 29/10/20-3324 P-16-15-06-2018

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स एग्री मैक सीड्स प्रा० लि० is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business, कुशवाहा कृषि केन्द्र, द्वारा-रामचन्द्र प्रसाद, खनदेजादपुर, मिनापुर, मुजफ्फरपुर, the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स एग्री मैक सीड्स प्रा० लि०, कुशवाहा कृषि केन्द्र, द्वारा-रामचन्द्र प्रसाद, खनदेजादपुर, मिनापुर, मुजफ्फरपुर	मेसर्स एग्री मैक सीड्स प्रा० लि०, कुशवाहा कृषि केन्द्र, द्वारा-रामचन्द्र प्रसाद, खनदेजादपुर, मिनापुर, मुजफ्फरपुर
उत्तर - , मीनापुर जाने वाली पक्की सड़क	उत्तर - , मीनापुर जाने वाली पक्की सड़क
दक्षिण - प्रमोद प्रसाद	दक्षिण - प्रमोद प्रसाद
पूरब - नीज	पूरब - नीज
पश्चिम - नीज	पश्चिम - नीज

Date : 15.06.2018  
Seal :

*A. J. ...*  
Licensing Authority  
Director of Agriculture  
Bihar, PATNA

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

- The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
- The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
- This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 14.06.2021 Unless previously cancelled or suspended. *(Fourteen June Two thousand Twenty one)*
- The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
- The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
- Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

*रमेश*